मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के विकास से संबंधित सामाजिक सशक्तिकरण, सांस्कृतिक सशक्तिकरण तथा आर्थिक सशक्तिकरण संबंधी कार्य समेकित है। साथ ही महिलाओं से संबंधित सूचनाओं का संग्रह, संग्रहण, प्रकाशण तथा प्रसारण, अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यो के लिए बिहार राज्य महिला सूचना एवं संसाधन केन्द्र/जेण्डर रिर्सोस सेन्टर संचालित है।

2. निधि का संवितरण

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना शत प्रतिशत राज्य सरकार की योजना है।

3. देय राशि

इसके तहत महिलाओं के विकास से संबंधित सामाजिक सशक्तिकरण अन्तर्गत महिला हेल्प लाईन, अल्पावास गृह, रक्षा गृह, कामकाजी महिला छात्रावास, शिशुपालना गृह; सांस्कृतिक सशक्तिकरण अन्तर्गत महिला सांस्कृतिक मेलों का आयोजन तथा स्वयं सहायता समूह को नवाचारी कार्यो के लिए पुरस्कार की योजना तथा आर्थिक सशक्तिकरण अन्तर्गत महिलाओं को सेवा प्रक्षेत्र में नियोजन योग्य व्यावसायिक पाठयक्रमों में प्रशिक्षण तथा नियोजन अथवा स्वरोजगार से जुड़ाव; सेवा प्रक्षेत्र के लिए प्रशिक्षण एवं कार्य अनुसंधान तथा उनके विकास एवं सशक्तिकरण के संबंध में नये विचार हेतु नवाचारी योजना को प्रोत्साहित करना है ।

4. पात्रता

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अन्तर्गत किशोरियाँ एवं महिलाएँ पात्र होंगी।

5. प्रक्रिया

राज्य, जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर महिलाओं के विकास, सांस्कृतिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण एवं सामाजिक सशक्तिकरण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

6. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

विभिन्न संस्थाओं/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण ईकाई के कार्यालय से प्राप्त व्यय विवरणी सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र महिला विकास निगम को उपलब्ध कराया जाता है। महिला विकास निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जिला बाल संरक्षण ईकाई के कार्यालय से प्राप्त व्यय विवरणी सहित उपयेागिता प्रमाण पत्र समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधक/जिला बाल संरक्षण ईकाई/ जिला पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठकों में सभी योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन की जाती है तथा राज्य स्तर पर आयोजित मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक समीक्षा बैठकों में महिला विकास निगम/विभाग द्वारा योजनाओं की समीक्षा की जाती है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस योजना से संबंधित शिकायत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।